संख्या-82/2024/978/सैंतीस-2-2024/001-1(21)/12

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-10 मई, 2024

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-40/सा.-1/एक्स-120(187)/06/जि.यो./2024-25, दिनांक-03.05.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार रू0-730.39 लाख (रूपये सात करोड़ तीस लाख उन्तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	473.396
03-मंहगाई भत्ता	243.490
55-मकान किराया भत्ता	13.504
योग-	**730.390**

(रूपये सात करोड़ तीस लाख उन्तालिस हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करने से वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।
8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001010600 (पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	01 वेतन	4,73,39,600 (रुपये चार करोड़ तिहत्तर लाख उनतालीस हजार छह सौ मात्र)
2	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	03 मंहगाई भत्ता	2,43,49,000 (रुपये दो करोड़ तैंतालीस लाख उनचास हजार मात्र)
3	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	55 मकान किराया भत्ता	13,50,400 (रुपये तेरह लाख पचास हजार चार सौ मात्र)
	कुल			**7,30,39,000** **(रुपये सात करोड़ तीस लाख उनतालीस हजार मात्र)**

महायोग	7,30,39,000 (रुपये सात करोड़ तीस लाख उनतालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-82/2024/978(1)/सैंतीस-2-2024/001-1(21)/12, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-82/2024/978/सैंतीस-2-2024/001-1(21)/12, दिनांक-10 मई, 2024 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2024-25) **(धनराशि लाख में)**

क्र0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	2	3	4	5	6
1	बरेली	8.000	4.000	0.260	12.260
2	फतेहपुर	5.150	2.800	0.170	8.120
3	हमीरपुर	8.800	4.000	0.230	13.030
4	फर्रूखाबाद	16.000	8.000	0.500	24.500
5	गाजीपुर	12.000	7.000	0.500	19.500
6	औरैया	12.000	6.000	0.350	18.350
7	मऊ	3.644	1.890	0.151	5.685
8	अमेठी	2.840	1.420	0.084	4.344
9	प्रयागराज	2.840	1.470	0.084	4.394
10	रायबरेली	3.150	1.600	0.090	4.840
11	चित्रकूट	6.500	3.400	0.200	10.100
12	एटा	64.780	32.390	1.980	99.150
13	हाथरस	27.520	14.630	0.860	43.010
14	बुलन्दशहर	8.000	4.320	0.168	12.488
15	महोबा	42.000	21.000	1.800	64.800
16	मैनपुरी	59.000	29.000	1.780	89.780
17	बलिया	2.930	1.530	0.090	4.550
18	फिरोजाबाद	5.600	2.910	0.000	8.510
19	सोनभद्र	14.690	8.510	0.450	23.650
20	कासगंज	8.660	4.400	0.266	13.326
21	बस्ती	15.930	8.000	0.300	24.230
22	गौतमबुद्ध नगर	3.640	1.820	0.000	5.460
23	गोरखपुर	6.540	3.270	0.000	9.810
24	संत कबीर नगर	2.530	1.800	0.000	4.330
25	सुल्तानपुर	13.309	7.980	0.285	21.574
26	उन्नाव	15.000	7.100	0.360	22.460

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	अलीगढ़	15.200	8.000	0.350	23.550
28	इटावा	2.380	1.190	0.084	3.654
29	हरदोई	17.650	9.000	0.520	27.170
30	मथुरा	3.200	1.600	0.090	4.890
31	मेरठ	7.000	3.500	0.350	10.850
32	लखनऊ	5.000	2.500	0.166	7.666
33	बिजनौर	2.310	1.150	0.084	3.544
34	कानपुर देहात	8.600	4.300	0.300	13.200
35	संत रविदास नगर	6.000	3.000	0.000	9.000
36	मिर्जापुर	7.000	4.500	0.000	11.500
37	मुजफ्फरनगर	2.840	1.420	0.084	4.344
38	लखीमपुर खीरी	2.450	1.260	0.084	3.794
39	मुरादाबाद	3.730	1.860	0.000	5.590
40	बलरामपुर	2.313	1.150	0.000	3.463
41	कन्नौज	9.880	5.330	0.250	15.460
42	वाराणसी	3.530	1.830	0.100	5.460
43	रामपुर	3.260	1.660	0.084	5.004
योग-		**473.396**	**243.490**	**13.504**	**730.390**

(रूपये सात करोड़ तीस लाख उन्तालिस हजार मात्र)

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।